

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या—9 / उपाठकीट 05-02-2005 (खण्ड-1)

/ कृ०, पटना, दिनांक

2015.

प्रेषक,

धर्मेन्द्र सिंह, भाठप्र०स०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री सुनील गंगवार,
मेसर्स बी०ए०ए०ए०फ० इण्डिया लि०,
द्वारा—श्री अम्बिका सेल्स कॉरपोरेशन,
वार्ड नं०-36 (कीर्ति पेट्रोल पम्प के सामने),
करमलीचक, पटना सिटी, पटना

ब० क०

आ०

दिनांक

विषय :-

कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञाप्ति संख्या—159—160 दिनांक 16.05.2008 वैद्यता तिथि 31.12.2015 में Endorsment के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन पत्र, कोषागार चलान एवं अन्य सुसंगत कागजातों के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 एवं आदेश 1986 के निहित प्रावधानों के आलोक में स्वनिर्मित 3 कीटनाशियों का अनुज्ञाप्ति संख्या—159—160 दिनांक 16.05.2008 वैद्यता तिथि 31.12.2015 के अन्तर्गत Endorsment किया जाता है।

क्रमांक	कीटनाशी का नाम
1	Pendimethalin 30% EC
2	Pyraclostrobin 20% WG
3	Imezsamox 35%+ Imazethapyr 35%WG

2—उपर्युक्त कीटनाशियों का भंडारण प्रतिष्ठान द्वारा कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 के विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भंडार स्थल पर किया जायेगा:— मेसर्स बी० ए० एस० एफ० इण्डिया लि०, द्वारा—श्री अम्बिका सेल्स कॉरपोरेशन, वार्ड नं०-36 (कीर्ति पेट्रोल पम्प के सामने) करमली चक, पटना सिटी पटना।

3—यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

4—अनुज्ञाप्त प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/भंडारण/विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

5—भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

6—अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना एवं संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

7—नियम 10 बी० के तहत् सल्फर के लिए अलग से बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चोरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करना होगा।

8—अमानक/मिलावटी/नकली कीटनाशी पाये जाने पर विर्निमाता, राज्य में उनके कन्साइनमेंट एजेन्ट/विक्रय प्रतिनिधि एवं बिक्रेता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासमाजन,

ह०/—

(धर्मेन्द्र सिंह)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

/ कृ०, पटना, दिनांक २५-०२-२०१५

ज्ञापांक 1029

प्रतिलिपि— (1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान), बिहार, पटना/सहायक निदेशक (सांख्यिकी), बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई/हेतु प्रेषित।

(2) उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।